न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण वाद सं0–377/2022
(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 29/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 08/04/2026)

FORM A

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

S.Tr. Case No.- 377 of 2022

C.I.S. No.- 377/2022

(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 29/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

(निर्णय की तिथिः– 08/04/2026)

FORM A

सूचक	राज्य द्वारा सूचक – सुरेश कुमार मोदी पे0–स्व0 सहदेव मोदी साकिन– नवरतन हाता, सनराइज कोनवेन्ट रोड, वार्ड नं0–21, थाना–सहायक के0 हाट, जिला–पुर्णिया (बिहार)
अभियोजन की ओर से	श्री शशिधर प्रसाद सिंह, अजय कुमार एवं गिरीशचंद्र गिरीन्द्र, विद्वान अपर लोक अभियोजक
	बनाम्
अभियुक्त	1. महेन्द्र मोदी उर्फ महा, पे0–स्व0 चतुरी मोदी 2. सिरमैन देवी, पति– गजेन्द्र मोदी 3. के0 बी0 मोदी, पे0– महेन्द्र मोदी उर्फ महा साकिन–पटोरी वार्ड नं0–09, थाना–सिंहेश्वर, जिला–मधेपुरा।
बचाव पक्ष की ओर से	श्री ज्योति कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता

FORM B

अपराध की तिथि–	दिनांक– 04/02/2022
प्राथमिकी की तिथि–	दिनांक– 06/02/2022
अन्तिम प्रपत्र की तिथि–	दिनांक– 30/11/2022 एवं 11/04/2023
अपराध का संज्ञान की तिथि–	दिनांक– 06/12/2022
आरोप गठन की तिथि–	दिनांक– 11/01/2024 एवं 20/03/2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक– 25/07/2024
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि–	दिनांक– 30/03/2026
निर्णय की तिथि–	दिनांक– 08/04/2026
सजा की तिथि (यदि कोई हो)	----------

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण वाद सं0–377/2022
(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 29/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 08/04/2026)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा
01.	महेन्द्र मोदी उर्फ महा			धारा– 302, 120(B), 379, 34 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	....
02.	सिरमैन देवी			धारा– 302, 120(B), 379, 34 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	....
03.	के0 बी0 मोदी			धारा– 302, 120(B), 379, 34 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	....

अभियोजन साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
PW-1	सुरेश कुमार मोदी	सूचक
PW-2	सियावर मंडल	अनुसंधानकर्त्ता
PW-3	रामचंद्र मोदी	अशासकीय
PW-4	विजय कुमार	अशासकीय
PW-5	अरूण कुमार	अनुसंधानकर्त्ता
PW-6	डॉ0 मनोज कुमार	डॉक्टर

Satish Kumar
08.04.26

बचाव साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
D.W-01	कुंदन कुमार	अशासकीय
D.W-02	अरविंद यादव	अशासकीय
D.W-03	गीता देवी	अशासकीय
D.W-04	अनिता देवी	अशासकीय
D.W-05	बेचन यादव	अशासकीय
D.W-06	राज कुमार मोदी	अशासकीय

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण वाद सं0–377/2022
(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 29/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 08/04/2026)

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण

अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
01.	Exhibit-P-1/P.W.-1	लिखित आवेदन
02.	Exhibit-P-2/P.W.-6	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्र वाद सिंहेश्वर थाना कांड सं0–29/2022 से व्युत्पन्न हुआ है जो कांड के सूचक सुरेश कुमार मोदी के लिखित बयान पर आधारित है। उक्त लिखित आवेदन के आधार पर कांड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों 1. महेन्द्र मोदी उर्फ महा 2. गजेन्द्र मोदी उर्फ गजवा 3. नीतिश कुमार 4. राजू मोदी 5. के0 बी0 मोदी 6. मौसम कुमारी 7. सिरमैन देवी 8. राधा देवी 9. प्रकाश मोदी एवं 10. संतोष भगत के विरूद्व धारा–302, 120बी, 379, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

02. **अभियोजन वाद**– अभियोजन वाद सूचक के लिखित आवेदन पर आधारित है जिसमें सूचक ने अभियोग लगाया है कि मृत्तका, सूचक की सगी बहन है तथा लगातार की भांति दिनांक 03/04 फरवरी 2022 को सूचक को उसके अपने मोबाइल नं0–9470038248 से उसकी बहन (मृत्तका) के मोबाइल नं0–7250116036 पर बात हुई जिसमें मृत्तका ने सूचक को बताया कि प्राथमिकी नामजद उपरोक्त सभी दस व्यक्ति जान मारने की नियत से जमा हुए हैं। आगे सूचक का कथन है कि दिनांक 04.02.2022 की रात्रि में उक्त लोगो ने सूचक की बहन (मृत्तका) की जमीन हड़पने की नियत से साजिशन हतया कर दी। सूचक को इसकी सूचना दिनांक 05.02.2022 को संध्या साढ़े सात बजे मिली। सूचक का कहना है कि इस प्रकार की घ टना दिनांक 29.12.2020 को सिंहेश्वर थाना में सिंहेश्वर थाना कांड सं0– 281/20 केस भी दर्ज है। सूचक के कथनानुसार उसकी बहन इधर जमीन बेचकर पटोरी से पलायन कर जाना चाहती थी। मोटी रकम जमीन बेचकर बैंक में तथा घर में जमा कर रखी थी जो गायब है। साथ में केस मुकदमा में प्रयुक्त होने वाले सारे कागजात का बैग भी गायब है। सूचक का कथन है कि गजेन्द्र मोदी ने उसकी बहन (मृत्तका) को जान से मारने की धमकी देकर बैंक खाते में अपनी पुत्री का नाम दर्ज करवा रखा था, जिसके उपरांत ही उसकी बहन की हत्या कर दी।

Satish Kumar
08.04.26

03. अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्त्ता ने प्राथमिकी अभियुक्त राधा देवी, संतोष भगत एवं मौसम कुमारी के विरूद्व अभियुक्तिकरण गलत पाया तथा 1. महेन्द्र मोदी उर्फ महा तथा 2. सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी के विरूद्व कांड सत्य पाते हुए धारा—302/120बी/379/34 भा0द0वि0 एवं धारा—27 आंर्म्स एक्ट के अंतर्गत दिनांक 30.11.2022 को आरोप पत्र समर्पित किया। शेष अभियुक्तों के विरूद्व अनुसंधान जारी रखा गया।

04. पुनः दिनांक 11.04.2023 को प्राथमिकी अभियुक्त के.बी. मोदी के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र समर्पित किया गया। अन्य अभियुक्तों के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखा गया।

05. आरोप पत्र समर्पित करने के पश्चात् दिनांक 06.12.2022 को अभियुक्त 1. महेन्द्र मोदी उर्फ महा तथा 2. सिरमैन देवी के विरूद्व प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय ने धारा—302/ 120बी/379/34 भा0द0वि0 एवं धारा—27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया और दिनांक 20.04.2023 को अभियुक्त के.बी. मोदी के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत ही संज्ञान लिया गया।

Satosh Kumar 08.04.26

06. संज्ञानोपरांत मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अभिलेख का दौरा सुपुर्दगी विद्वान सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय में किया गया जिसमें सत्र वाद सं0—377/22 में अभियुक्त 1. महेन्द्र मोदी उर्फ महा तथा 2. सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी का विचारण प्रारंभ हुआ जबकि सत्र वाद सं0—179/23 में अभियुक्त के0 बी0 मोदी का विचारण प्रारंभ हुआ।

07. दिनांक 11.01.2024 को सत्र वाद सं0— 377/22 में अभियुक्त 1. महेन्द्र मोदी उर्फ महा तथा 2. सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी के विरूद्व धारा—302/34, 120बी, 379/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन हुआ जबकि दिनांक 20.03.2024 को इन्ही धाराओं के तहत अभियुक्त के0 बी0 मोदी के विरूद्व सत्र वाद सं0—179/23 में आरोपों का गठन किया गया। दोनो ही वादो में अभियुक्तों ने आरोप को मानने से इनकार किया तथा विचारण का सामना करने का दावा किया।

08. दिनांक 20.03.2024 को सत्र वाद सं0–179/23 का समामेलन सत्र वाद सं0–377/2022 में कर दिया गया और इस प्रकार कुल तीन अभियुक्तों 1. महेन्द्र मोदी उर्फ महा तथा 2. सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी एवं के0 बी0 मोदी का विचारण सत्र वाद सं0–377/22 में प्रारंभ हुआ।

विनिश्चय, कारण एवं आधार

09. **विनिर्धारण के बिंदु** :– प्रस्तुत सत्र वाद में विनिर्धारण का एकमात्र महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल हुआ है? अर्थात् क्या अभियोजन धारा–302/34, 120बी, 379/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत लगाये गए आरोपों को विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों के विरूद्व साबित करने में सफल हुआ है?

10. उक्त प्रश्न के विनिर्धारण हेतु विधिक प्रावधानों समेत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन एवं विश्लेषण आवश्यक होगा।

Satish Kumar
08.04.26

11. **विधिक प्रावधान** :–

धारा–302 भा0द0वि0 :– यह धारा हत्या के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार – जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा–120B भा0द0वि0 :– यह धारा आपराधिक षडयंत्र के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार – (1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता मे कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध को करने के आराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से, या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

धारा–120B भा0द0वि0 आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है। इसके अनुसार –– जबकि दो या अधिक व्यक्ति ––

(1) कोई अवैध कार्य, अथवा

(2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनो द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

धारा—379 भा0द0वि0 :— यह धारा चोरी के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार —— जो कोई चोरी करेगा, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा। धारा—378 भा0द0वि0 चोरी को परिभाषित करती है। इसके अनुसार —— जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

अभियोजन साक्षियों का अभिसाक्ष्यः— अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल छः गवाहों की गवाही कराई गई है जिनका अभिसाक्ष्य इस प्रकार है——

Satish Kumar
08.04.26

मुद्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

12. **अभियोजन साक्षी सं0—01 सुरेश कुमार मोदी**

अभियोजन साक्षी सं0—01 सुरेश कुमार मोदी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि घटना 04.02.2022 के संध्या 07 बजे के बाद की है। उस दिन मैं पूर्णिया में था। मेरी सहोदर बहन फुलवती देवी से बराबर फोन से बात हुआ करती थी। बीच—बीच में वो मेरे पास भी आ जाया करती थी। फूलवती के परिवार के सदस्य महेंद्र मोदी उर्फ महा, गजेंद्र मोदी उर्फ गजवा, नीतिश कुमार, के0 बी0 मोदी, राजु मोदी, सिरमैन देवी, राधा देवी, संतोष कुमार, प्रकाश मोदी उसे बराबर कहते थे कि जमीन लिख दो अन्यथा धरती पर रहने नहीं देगें। इसके लिए कई बार उसे जान मारने का प्रयास किया गया। वह कई बार थाना भी गयी। सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 281/20 इस घटना के बाबत दर्ज भी किया गया। इसके बाद उसके साथ मारपीट और ज्यादा होने लगा तो वह एस0पी0 साहब के यहां गयी। जब भी उसके साथ घटना होती थी तो वह भागकर कभी मेरे पास, कभी भवानीपुर बड़े भाई के पास या कभी अपने बहन के पास बघेली आ जाती थी। वो मुझे बोलती थी कि नये—नये आदमी आते है जिस कारण मुझे डर लगता है। वह अभी मर चुकी है। दिनांक 03.02.2020 को दिन के 09—10 के लगभग मुझसे वो मेबाईल से बात की। प्रकाश, संतोष और अन्य लोग आए है, जिनसे मुझे डर लगता है तो मैं उसे बोला कि यदि तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे पास

पूर्णिया आ जाओ। दीदी बोली कि मैं सिहेंश्वर में जमीन 10 लाख रूपया देकर आ रही हूँ। दिनांक 04.02.2020 को सुबह में बात हुआ लेकिन इसके बाद मेरा उनसे बात नहीं हुआ। दिनांक 05.02.2020 की शाम के 7 बजे मुझे सूचना मिला कि तुम्हारे दीदी का मर्डर हेा गया है। मैं इसके बाद पूर्णिया से मधेपुरा आया। मेरी दीदी को दो गोली लगी थी। उसके सीने में दो गोली लगी थी तथा पैर को तेज धारदार हथियार से काटा गया था। दीदी के घर से सारा कागज पत्तर, रूपया गायब था। इस संबंध में मैनें थानाध्यक्ष सिंहेश्वर को एक लिखित आवेदन दिया और आवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। पहचान पर इसे प्रदर्श–P-1/P.W.1 अंकित किया जाता है। पारा–02 में साक्षी ने वीडियो कान्फेंन्सिग से उपस्थित अभियुक्त के0 वी0 मोदी का पहचान किया है तथा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सिरमैन देवी तथा महेंद्र का लड़का नाम– नामालुम को पहचानता है तथा जो नहीं आये हैं, उन्हें देखकर पहचानने का दावा करता है।

अभियुक्त महेन्द्र मोदी उर्फ महा एवं के0 बी0 मोदी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–03 में साक्षी का कथन है कि मुझे अपनी सगी बहन के ससुराल जाने का मौका मिला है। मैं उसके ससुराल में एक वर्ष में एक बार आ जाता था। पारा–04 मे कहा है कि घटना के 06–07 माह पहले से मैं उसके ससुराल नहीं जा रहा था। पारा–05 मे कहा है कि घटना के दूसरे रोज दीदी के ससुराल आया। पारा–06 मे कहा है कि मैं अपने नजरों से किसी को मारते नहीं देखा। पारा–07 मे कहा है कि मृतक के घर के पश्चिम सड़क है। दक्षिण में गजेंद्र मोदी का घर है। उत्तर में किनका घर है, नाम मालुम नहीं है लेकिन चेहरा से परिचित हूँ। पूरब में बाड़ी–झाड़ी है। पारा–08 मे कहा है कि फूलवती देवी के पति तीन भाई है, उनका नाम मेरे बहनोई युगेश्वर मोदी, महेंद्र मोदी उर्फ महा एवं गजेंद्र मोदी उर्फ गजवा है। पारा–09 मे कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि महेंद्र मोदी परिवार सहित लगभग 30–40 साल से दिल्ली में रहते हैं। पारा–10 मे कहा है कि मुझे जानकारी नहीं है कि महेंद्र मोदी दिल्ली का आधार कार्ड, दिल्ली नगर निगम का रोजगार कार्ड उसे उपलब्ध है। पारा–11 मे कहा है कि महेंद्र मोदी का घर मेरी बहन फुलमती देवी के घर से कितनी दूरी पर है, नहीं बता सकता हूँ। पारा–12 मे कहा है कि महेंद्र मोदी अपने नये घर से घटनास्थल कितनी दूरी पर होगा, नहीं बता सकता हूँ। पारा–13 मे कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं इस बात को छिपा रहा हूँ कि महेंद्र मोदी का घर मृतिका के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पारा–14 मे कहा है कि महेंद्र मोदी और उसके भाईयों के बीच न्यायालय के द्वारा बंटवारा हो चुका है। पारा–15 मे कहा है कि फुलवती देवी के पति की

Satish Kumar
08.04.26

मृत्यु अंदाज से घटना से 28—29 वर्ष पूर्व हुई थी तारिख साल नहीं बता सकते है। पारा—16 मे कहा है कि फुलवती देवी को कोई संतान नहीं था, मेरी बहन अपने पति के हिस्से के जमीन तकरीबन साल भर पहले जमीन बेची गई थी तीन—चार बार जमीन बेची है, अलग—अलग लोगों से बेची थी। वो जमीन पचासों लाख रूपये कीमत की होगी ये हमको जानकारी नहीं है। पारा—17 मे कहा है कि सिंहेश्वर काफी सुदुर जगह है इसिलए वहां की जमीन किमती है, हम नहीं कह सकते हैं। पटना की जमीन कीमती है ये भी हम नहीं कह सकते हैं। पारा—18 मे कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि घटना से करीब 6—8 महीने पहले से जमीन बिकी करना शुरू कर दी थी वे अपने पति के हिस्से की करीब 2.5—3 बीघा जमीन बिकी की थी। पारा—19 मे कहा है कि मैं इंटर तक पढ़ाई किया हूँ। मेरा बड़ा लड़का मेडिसिन हॉलसेल का कारोबार करता है जिसका देखभाल मै भी करता हूँ। मेरी पुत्री और दामाद दोनों डॉक्टर है, पूर्णिया सरकारी अस्पताल में पदस्थापित है। मेरा एक पुत्र आई0आई0टी0 उतीर्ण है, जो वर्तमान में एन0टी0पी0सी0 में सहायक महाप्रबंधक है यहीं बच्चों की पढाई लिखाई एवं देखभाल के कारण ज्यादा बहन के यहाँ जाना आना नहीं होता था। पारा—20 मे कहा है कि अंतिम बार मेरी बहन फुलवती देवी का फोन आया वह नंबर अभी याद नहीं है। समय सूर्योदय के बाद का था, उस दिन बहन के द्वारा जो बताया गया कि मेरी जान को खतरा है, इसकी जानकारी न ही पूर्णिया पुलिस में न ही मधेपुरा पुलिस में और न ही न्यायालय में सुचना दिया। मेरी बहन भयभीत थी। पारा—21 मे कहा है कि पुलिस को मैं बयान दिया था। पारा—22 मे कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने पुलिस के सामने ऐसा बयान नहीं दिया था कि फोन से मेरी बहन फुलवती देवी मुझे बोलती थी कि महेन्द्र मोदी के0बी0 मोदी नीतीश कुमार सिरमैन देवी राधा देवी संतोष कुमार और प्रकाश मोदी बोलते थे कि जमीन उसे लिख दे नहीं तो धरती पर नहीं रहने देंगें। पारा—23 मे कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने पुलिस के सामने ऐसा बयान नहीं दिया था कि मेरी बहन फुलवती देवी ने कहा कि सिंहेश्वर में मैं जमीन ले रही हू और दस लाख रूपया देना है। पारा—24 मे कहा है कि पटोरी गांव में मैं नाम से 2—3 आदमी को जानता हूँ। ये लोग सभी रिस्तेदार और ग्रामीण है। पारा—25 मे कहा है कि अपना परिवार छोड़ कर समाज में मेरा चाय पान होता था। पारा—26 मे कहा है कि मेरी बहन फुलवती देवी अपना सारा पैसा पोस्ट ऑफिस में रखती थी अपने पोस्ट ऑफिस के खाता में नॉमनी अर्पना कुमारी को बनायी थी जो गजेन्द्र मोदी की पुत्री थी। पारा—27 मे कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि महेन्द्र मोदी और के0बी0 मोदी निर्दोष है और मैं गलत बयान दिया है और मैं अपने बहनोई स्व0 जुगेश्वर मोदी और उसकी पत्नी की हिस्से की पैतृक जायदाद हड़पने की नियत से महेन्द्र मोदी के0बी0 मोदी पर गलत दबाब

Satish Kumar
08.04.26

डालने के नियत से झूठा केस किया हूँ, जैसा मैं बयान दिया हूँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।

अभियुक्ता सिरमैन देवी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—28 में साक्षी का कथन है कि मैं इस घटना के संबंध में पुलिस में बयान दिया था पुलिस मेरा बयान लिखकर व पढ़कर सुना दिया एवं मै फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर किया था। इसके बाद इस घटना के संबंध और कहीं लिखित आवेदन नहीं दिया था। पारा—29 मे कहा है कि मृत्तका फुलवती देवी मेरी बड़ी बहन थी, मृत्यु से लगभग 40 वर्ष पूर्व मेंरी बहन की शादी हुई थी, मेरी बहन के मृत्यु से 10 साल पहले मेरे बहनोई की मृत्यु हो गई थी। पारा—30 में कहा है कि जुगेश्वर मोदी सहोदर तीन भाई थे। पहला जुगेश्वर मोदी दुसरा महेन्द्र मोदी तीसरा गजेन्द्र मोदी एवं जुगेश्वर मोदी के मृत्यु के परिवार के सभी जगह जमीन का बंटवारा कोर्ट से हुआ था। पारा—31 में कहा है कि सिरमैन देवी से मेरी बहन की परिवारिक लड़ाई झगड़ा जमीन को लेकर होती थी। पारा—32 में कहा है कि सिरमैन देवी गजेन्द्र मोदी की पत्नी है। सिरमैन देवी मेरी बहन के हिस्से की जमीन बिकी नहीं की है। पारा—33 में कहा है कि महेन्द्र मोदी, गजेन्द्र मोदी और मेरी बहन एक ही डीह पर सब अलग अलग रहती थी, सब अलग अलग अपना खेतीबारी करते थे। अनाज पानी को जो भी बिकी होता था सब अपने अपने पास रखती थी। मेरी बहन भी अपने जमीन का मालिक खुद थी। पारा—34 में कहा है कि मेरी बहन बताई थी कि घर में दस लाख रूपया और जेबर दस बारह भर सोना और जमीन का कागजात था। पारा—35 में कहा है कि इस घटना से पहले सिरमैन देवी मेरी बहन का कोई भी गहना जेबर रूपया पैसा ली की नहीं इसकी जानकारी हमकों नहीं है। सिरमैन देवी के पास से अथवा उसके घर से मेरी बहन का कोई भी गहना जेबर और रूपया पैसा बरामद हुई की इसकी जानकारी हमकों नहीं है। पारा—36 में कहा है कि मेरी बहन की कोई संतान नहीं थी वह गजेन्द्र मोदी की बेटी अर्पना कुमारी को पोस्ट ऑफिस के खाता का नोमनी बनाया था। पारा—37 में कहा है कि सिरमैन देवी का मेरी बहन से रिस्ता अच्छा नहीं था। पारा—38 में कहा है कि नॉमनी जो बनाई थी इसका मैं विरोध नहीं किया था। पारा—39 में कहा है कि घटना से पहले जिस मोबाईल से मेरी बहन सुचना दी थी वह मोबाईल पुलिस ली थी और उसका कोई जप्ति सूची नहीं दिया था। पारा—40 में कहा है कि ऐसी बात नहीं हैं कि जिस मोबाईल से मेरी बहन सुचना दी थी वह मोबाईल मैं पुलिस को नहीं दिया था। पारा—41 में कहा है कि मैं अपने बहन का लहास देखा था उसका लहास अपने ही घर के अंदर था पुलिस आने के बाद घटना स्थल पर हमसे कोई दस्तखत नहीं करवाया था न ही पंचनामा बनाया था। पारा—42 में कहा है कि मेरी बहन की सलाना कितना आमदनी था यह हम नहीं

Satish Kumar
08.04.26

कह सकते है। मेरी बहन का रूपया पैसा का लेनदेन किस किस के साथ यह हम नहीं जानते है। पारा—43 में कहा है कि मेरी बहन लाखों रूपया सूद पर लगाया था इसकी हमकों कोई जानकारी है। पारा—44 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि जमीन बिकी के नाम वह दिगर व्यक्ति से लाखों रूपया ले चुकि थी लेकिन रजिस्ट्री नहीं कि थी इसलिए उसकी हत्या किसी दिगर व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दिया और मैं दूसरें व्यक्ति के कहने पर अपने बहन के संपति के लोभ में आकर सिरमन देवी को और उसके पति को इस केस में गलत अभियुक्त बनाया है। पारा—45 में साक्षी का कथन है कि मैं घटना होते हुए अपने आँखों से नहीं देखा।

13. **अभियोजन साक्षी सं0—02 सियावर मंडल**

अभियोजन साक्षी सं0—02 सियावर मंडल ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि दिनांक 06.02.2022 को मै सिंहेश्वर थाना मे थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वादी सुरेश कुमार मोदी पे0—स्व0 सहदेव मोदी साकिन—नवरतन हाटा, सनराईज कॉन्वेंट रोड, वार्ड न0—21, थाना— के0 हाट, जिला— पुर्णिया मेरे थाना पर दिन 16:30 बजे पहुंचकर अपने सगी बहन मोसेमात फुलमति देवी पति स्व0 योगेन्द्र मोदी निवादी पटोरी थाना सिंहेश्वर जिला मेधुपुरा की हत्या गोली मारकर कर देने के संबंध मे आवेदन दिया। पारा—02 में साक्षी का कथन है कि सिहेंश्वर थाना कांड सं0 29/22 दिनांक 06.02.2022 धारा—302, 120बी, 379, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स के अंतर्गत दर्ज कर अनुसंधान स्वंय ग्रहण किया। कांड से संबंधित पृष्ठाकंन मेरे द्वारा व लिखावट में है, कांड का औपचारिक प्राथमिकी मेरे ही लिखावट मे है इसे पहचानता हूँ। पारा—03 में कहा है कि अनुसंधान भार ग्रहण करने के पश्चात पु0अ0नि विजय पासवान के साथ घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। अपने सहयोगी पुलिस पदाधिकारी विजय पासवान के द्वारा मृत्तका फुवती देवी का मृत्यु—समीक्षा रिपोर्ट तैयार कराये तथा घटनास्थल पर मृत्तका फुलवती देवी के बिछोना से एक जिन्दा गोली और एक फायर किया हुआ खोखा प्राप्त हुआ जिसका पु0अ0नि0 विजय पासवान के द्वारा जब्ती सूची तैयार करवाया गया। पारा—04 में कहा है कि घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल सिंहेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम पटोरी वार्ड नं0 02 सथित मृत्तका मोसेमात फुलवती देवी का पश्चिम रूख का एक कमरा ईंट एवं टीना का बना आवासीय घर है जिनमे पूरब की ओर दरवाजा व आंगन है। इसकी कमरा मे अपराधी द्वारा जमीन विवाद को लेकर मृत्तका मोसेमात फुलवती देवी का गोली मारकर हत्या करने तथा मृतिका का शव खून से लतपत बेड पर पाये जाने की बात स्थानीय ग्रामीणो द्वारा बताई जाती है। मृतिका के बेड पर से एक जिंदा गोली तथा एक फायर किया हुआ गोली बरामद हुआ है, जिन्हे विधिवत

Satish Kumar
08.04.26

जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। कमरे की लम्बाई एवं चौड़ाई करीब 16–16 फीट की है। कमरे के पूरब की ओर स्थित दरवाजा का अंदर से लगाया जाने वाला छिटकली टूटा हुआ पाया गया। मृतका का शरीर करवट लेटा हुआ तथा उत्तर–दक्षिण रूख से जिसमे सिर दक्षिण की ओर तथा चेहरा पूरब की ओर पाए जाने की बात बताई गई है। चौहद्दी–उत्तर मे मिथिलेश मोदी का आवासीय घर है, दक्षिण गजेन्द्र मोदी का आवासीय घर, पूरब मे मृतका का बांसवाडी एवं नीट जमीन है, पश्चिम ग्रामीण पगडंडी रास्ता एवं रास्ता के बाद दिनेश मोदी का जमीन है। इसके बाद वादी सुरेश मोदी का पुनः बयान लिया। साक्षी रामचंद्र मोदी का बयान कांड दैनिकी मे अंकित किया। साक्षी विजय कुमार चौरसिया का बयान लिया, चानो यादव का बयान लिया व सभी ने घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन किया। पारा–05 में कहा है कि इसके बाद मेरा स्थानांतर मधेपुरा जिला आदेश सं0–372/22 दिनांक 21.02.2022 के आलोक मे सिंहेश्वर थाना से शंकरपुर थाना मे हो जाने के कारण इस कांड का अग्रिम अनुसंधान भार सिंहेश्वर थाना के वर्तमान थानाध्यक्ष अरूण कुमार को सौपा गया।

अभियुक्ता सिरमैन देवी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–06 में साक्षी का कथन है कि मुझे दिनांक 06.02.2022 को लिखित सूचना दी गई थी। इससे पहले मुझे दिनांक 05.02.2022 को अफवाहन सूचना मिली थी। उक्त सूचना पर मैने मृत्तिका का शव देखने गया था इस बात को मैने कांड दैनिकी मे अंकित नहीं किया है। मृतिका का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं बनाया गया और उसपर मेरा हस्ताक्षर भी नहीं है। जब्ती सूची पर भी मेरा हस्ताक्षर नहीं है। उस जब्ती सूची पर सूचक सुरेश कुमार मोदी और उसका भाई रामचंद्र मोदी का भी हस्ताक्षर नहीं है। पारा–07 में कहा है कि सूचक के लिखित आवेदन पर सिर्फ सूचक का हस्ताक्षर है उसके भाई रामचंद्र मोदी का हस्ताक्षर नहीं है। पारा–08 में कहा है कि अभियुक्त सिरमैन देवी के घर से मैने रूपया–पैसा बरामद नहीं किया और उसके घर से कोई आपत्ति जनक सामान गोली वगैरह नही बरामद हुआ। पारा–09 में कहा है कि घटनास्थल के उत्तर मे मिथिलेश मोदी का आवासीय घर है लेकिन मैने उसका बयान नही लिया। पारा–10 में कहा है कि मृतिका फूलमती देवी और अभियुक्त सिरमैन देवी के बीच मे क्या रिश्ता था इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पारा–11 में कहा है कि घटनास्थल से अभियुक्त सिरमैन देवी का घर किस दिशा मे और कितनी दूरी पर था यह नहीं कह सकता हूँ। पारा–12 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने अनुसंधान सही तरह से नही किया है।

Satish Kumar
08.04.26

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण वाद सं0–377/2022
(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 29/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 08/04/2026)

अभियुक्त महेन्द्र मोदी उर्फ महा एवं के0 बी0 मोदी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–13 में साक्षी का कथन है कि प्राथमिकी के साथ या केस डायरी के साथ जो जब्ती सूची बनी थी उसकी मूल व कार्बन प्रति मेरे समक्ष उपलब्ध नहीं है। पारा–14 में कहते हैं कि जब्ती सूची मेरे सामने दिनांक 05.02.2022 को बना था। जब्ती सूची समय 23:10 बजे बनाया गया था। उस जब्ती–सूची मे मैने थाना कांड सं0 29/2022 अंकित किया है, जबकि मैने अपने केस डायरी मे जब्ती सूची का वर्णन किया है उसमे थाना कांड सं0 भी अंकित किया है। पारा–15 में कहा है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का अभिलेखन कांड दैनिकी मे अपने हाथ से या टंकित नहीं किया है बल्कि पेस्ट कर दिया है। पारा–16 में कहा है कि मैने साक्षियो का बयान कितने बजे और किस समय लिया वो कांड दैनिकी मे अंकित नहीं किया है। पारा–17 में कहा है कि मेरे अनुसंधान के कम मे किसी गवाह द्वारा घटना को अपने आँख से देखने की बात नहीं कही है। पारा–18 में कहा है कि कांड के अभियुक्त केबी मोदी और महेन्द्र मोदी के घर पर छापामारी किए मगर छापामारी के दौरान उनके घर व दरवाजे से कोई आपत्तिजन सामान व किसी प्रकार का हथियार या रूपया इत्यादि बरामद नही किया। पारा–19 में कहा है कि घटनास्थल से अभियुक्त के0बी0 मोदी और महेन्द्र मोदी का घर का दूरी लगभग 50 मीटर की दूरी पर होगा। मै दिशा नही बता सकता हूँ। इस 50 मीटर के बीच मे कितने लोगो का घर है ये नहीं बता सकता हूँ। पारा–20 में कहा है कि कांड सूचक सुरेश मोदी द्वारा मेरे समक्ष यह नहीं बताया गया कि फोन से मेरी बहन फूलवती देवी मुझे बोलती थी कि महेन्द्र मोदी, केबी मोदी, नितीश कुमार, श्रीमेन देवी, राधा देवी, संतोष कुमार और प्रकाश मोदी बोलते थे कि जमीन उसे लिख दे नहीं तो धरती पर नहीं रहने देंगे। पारा–21 में कहा है कि कांड सूचक सुरेश मोदी द्वारा मेरे समक्ष यह नहीं बताया गया कि फोन से मेरी बहन फूलवती देवी ने कहा कि सिंहेश्वर मे जमीन ले रही हूँ और दस लाख रूपया देना है। पारा–22 में कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि कांड का मैने त्रुटिपूर्ण अनुसंधान किया है।

Satish Kumar
08.04.26

14. <u>अभियोजन साक्षी सं0–03 रामचंद्र मोदी</u>

अभियोजन साक्षी सं0–03 रामचंद्र मोदी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 मे कहा है कि घटना सरसवती पूजा के दिन की है। उस दिन 7:30–8 बजे शाम को मेरा भगना बासा पर गया और बोला कि मौसी का मर्डर हो गया है। मृतका का नाम फूल कुमारी देवी था जो मेरी बहन थी। उसके बाद अपने भगना के साथ मोटरसाइकिल से पटौरी गया जहाँ मेरी बहन का ससुराल था। वहा देखा कि वह खून से लथपथ बेड पर पडी हुई थी। यह

देखकर मुझे कोई होश नही रहा। वहाँ गाँव के लोग आये। मै दाह—संस्कार सम्मिलित होने के उपरांत घर वापस चला गया। पारा—02 में साक्षी का कथन है कि इस केस के मुदालय को नही पहचानता हूँ क्योंकि मैने मारते हुए किसी को नहीं देखा है।

अभियुक्ता सिरमैन देवी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—03 में साक्षी का कथन है कि इस केस मे आज मै पहली बार गवाही दे रहा हूँ। इससे पूर्व मुझसे कही भी कोई पूछताछ नहीं हुई। पारा—04 में कहा है कि मै अपनी बहन फूल कुमारी के यहाँ कभी कभार आता जाता था।

अभियुक्त महेन्द्र मोदी उर्फ महा एवं के0 बी0 मोदी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—05 में साक्षी का कथन है कि मुझे इस केस मे न्यायालय का नोटिस मिला था जिसके बाद मै गवाही देने आया हूँ। नोटिस अभी मेरे पास नही है। अभी मै इस केस के सूचक सुरेश मेादी के साथ आया हूँ। पारा—06 में कहा है कि मै अपनी नजरो से किसी को कुछ करते नही देखा हूँ। साक्षी स्वतः कहते है कि मेरी बहन बीच—बीच मे मुझसे कहती थी कि भइया मेरी हत्या हो जाएगी लोग मुझे धमका रहे है। उसने बताया कि मेरे देवर लोग धमकी देते है जिसके बाद मैने कहा कि तुम यही रहो और परेशानी हो रही है तो थाना को इसकी बाबत आवेदन दे दो। मैने अपने बहन के कहने के बाद थाना या कही कोई आवेदन नही दिया। पारा—07 में कहते हैं कि ऐसी बात नही है कि मृतका मेरी बहन थी और सूचक सुरेश मोदी के कहने पर न्यायालय मे झूठी गवाही दे रहा हूँ।

Satish Kumar
08.04.26

15. **अभियोजन साक्षी सं0—04 विजय कुमार**

अभियोजन साक्षी सं0—04 विजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि यह घटना 05 फरवरी, 2022 की संध्या 07 बजे की है। मुझे खबर मिला कि मेरी मौसी फुलो देवी की हत्या हो गई है। खबर मिलते ही मै अपने मामा रामचंद्र मोदी के यहां बासा पर गया और उनको सूचना दी। उसके बाद मोटरसाइकिल से मै अपने मामा को लेकर पटौरी आया। वहां आकर देखा कि मेरी मौसी का शव खून से लथपथ बेड पर पड़ा हुआ था। उसके स्तन पर गोली लगी हुई थी और पैर कटा हुआ था। घटना देखने के बाद मै अपने घर बघैली फोन किया। तब मेरी मम्मी निर्मला देवी और पिताजी शिवपूजन भगत ये लोग रात मे ही आए। उसके बाद मै बेहोश हो गया। उसके बाद मै अपनी गाड़ी मे बैठ गया। सुबह होकर शव को थाना लाया गया उसके बाद शव को पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर

दाह—संस्कार किया गया। पारा—02 में साक्षी ने कथन किया है कि क्युकि घटना मेरे सामने नही हुई थी इसलिए मै मुदालय को नहीं पहचानता हूँ।

अभियुक्त महेन्द्र मोदी उर्फ महा एवं के0 बी0 मोदी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—03 में साक्षी का कथन है कि मैने अपने आँखो से घटना करते हुए किसी को नही देखा। पारा—04 में कहा है कि घटना के संबंध में मुझे मोबाईल से सूचना मिली थी। किस मोबाईल नं0 से फोन किया गया यह याद नही है। पारा—05 में कहा है कि सूचक सुरेश मोदी मेरे मामा लगते है, उन्ही के साथ मे आज न्यायालय मे गवाही देने आया हूँ। पारा—06 में कहा है कि मै स्पलेन्डर से 09:30 बजे रात्रि मे सूचना के पश्चात् पटौरी के लिए निकला था और करीब 2:30 बजे रात्रि मे पटोरी पहुचा। पटोरी पहुंचने के बाद शव को देखने के बाद मै बेहोश हुआ था। 10—15 मिनट मै होश मे रहा। होश के दौरान वहा जितने लोग मौजूद था किसी को पहचानने का मौका नही मिला। मेरे होश मे रहने तक पुलिस नही आई थी। मुझे सुबह 5—6 बजे पटोरी मे होश आया। थाना और हॉस्पीटल मै गया था। थाना मे मै 6 तारीख को 9 बजे गया था और उसके बाद हॉस्पीटल गया। पारा—07 में कहा है कि इस केस मे मेरा बयान आज से पहले नही हुआ है। पारा—08 में कहा है कि ऐसी बात नही है कि मृतका मेरी मौसी थी और सूचक मेरे मामा है इसलिए उनके कहने पर न्यायालय मे झूठी गवाही दे रहा हूँ।

Satish Kumar
08.04.26

अभियुक्ता सिरमैन देवी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—09 में साक्षी का कथन है कि इस केस मे मेरा बयान आज से पहले नही हुआ है। पारा—10 में कहा है कि मृतका मेरी मौसी थी जिसका नाम फुलो देवी था अन्य कोई नाम मै नही जानता हूँ। मौसी के यहा मेरा आना—जाना होता था। मौसी के परिवार के किसी सदस्य का नाम नही जानता हूँ। पारा—01 में कहा है कि ऐसी बात नही है कि मृतका मेरी मौसी थी और सूचक मेरे मामा है इसलिए उनके कहने पर न्यायालय मे झूठी गवाही दे रहा हूँ।

16. <u>अभियोजन साक्षी सं0—05 अरूण कुमार</u>

अभियोजन साक्षी सं0—01 अरूण कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि मै दिनांक 09.03.2022 को थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर थाना के पद पर पदस्थापित था। उक्त तिथि को मुझे सिंहेश्वर थाना कांड सं0 29/22 का अनुसंधान भार पूर्व थानाध्यक्ष सियाराम

मंडल के द्वारा दिया गया। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अनु0 पुलिस पदाधिकारी, सदर मधेपुरा का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त कर कांड दैनिकी के पारा–22 मे अंकित किया। मृत्तका फुलवती देवी का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त किया जिसे कांड दैनिकी के पारा–26 मे अकित किया। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के प्रतिवेदन–02 प्राप्त कर कांड दैनिकी के पारा–54 मे अंकित किया। प्राथमिकी अभियुक्त महेन्द्र मोदी उर्फ महा को दिनांक 05.09.2022 को गिरफ्तार किया। प्राथमिकी अभियुक्त शिरोमणी देवी उर्फ सिरमेन देवी को दिनांक 23.09.22 गिरफ्तार किया एवं उसका सफाई बयान अंकित किया। सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास कांड दैनिकी के पारा–86 एवं 87 में अंकित किया। पारा–02 मे कहते है कि अभियुक्त महेन्द्र मोदी उर्फ महा एवं अभियुक्त शिरोमणी देवी उर्फ सिरमेन देवी के विरूद्व आरोप पत्र सं0 248/2022 दिनांक 30.11.2022 अंतर्गत धारा–302, 120बी, 379/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट समर्पित किया तथा शेष अभियुक्तो के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखा। पूरक अनुसंधान के कम में न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें पाया कि के0 बी0 मोदी माननीय न्यायालय मे आत्मसर्मपण किए है। उनके विरूद्व पूरक आरोप पत्र सं0–103/23 दिनांक–11.04.2023, धारा–302, 120बी, 379/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत समर्पित किया तथा शेष अभियुक्तों के विरूद्व पूरक अनुंसधान जारी रखा। पारा–03 में कहा है कि आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त महेन्द्र मोदी उर्फ महा एवं शिरोमणी देवी उर्फ सिरमैन देवी को पहचानता हूँ।

Satish Kumar
08.04.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

अभियुक्ता सिरमैन देवी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–04 में साक्षी का कथन है कि मै दिनांक 09.03.2022 से अनुसंधान प्रारंभ किया तथा दिनांक 11.04.2023 को पूरक आरोप पत्र समर्पित करने के पश्चात् मेरा स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण की तिथि याद नहीं है। पारा–05 में कहा है कि मैने मूल आरोप पत्र मे महेन्द्र मोदी उर्फ महा एवं शिरोमणी देवी उर्फ सिरमैन देवी के विरूद्व आरोप पत्र समर्पित किया। पारा–06 में कहा है कि कांड दैनिकी के पारा–22 में अनु0 पु0 पदा. सदर का पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित किया। उक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी में अभियुक्त सिरमैन देवी की संलिप्तता नहीं पाया जाने संबंधी मंतव्य दिया गया। पारा–07 में कहा है कि उक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी के बाद मेरे द्वारा अभियुक्त सिरमेन देवी के विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं पाया गया बल्कि पुलिस अधी0 के प्रतिवेदन के आधार पर उसके विरूद्व आरोप पत्र समर्पित किया गया। पारा–08 में कहा है कि अभियुक्त सिरमेन देवी के घर से मेरे द्वारा कोई आपत्तीजनक सामान बरामद नहीं हुआ था। पारा–09 में कहते है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने वरीय पदाधिकारी के कहने पर अभियुक्त

सिरमेन देवी के विरूद्व गलत तरीके से आरोप पत्र समर्पित किया।

अभियुक्त महेन्द्र मोदी उर्फ महा एवं के0 बी0 मोदी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–10 में साक्षी का कथन है कि अपने अनुसंधान के दरमयान मैने घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया और न ही मेरे द्वारा किसी साक्षी का बयान दर्ज किया गया। पारा–11 में कहा है कि अनु0 पु0 पदा0 द्वारा कांड अनुसंधान पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी जो मैने पारा–22 मे अंकित किया है उसमें घटना मे प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया था। मेरे द्वारा ऐसी बरामदगी नहीं की गई। पारा–12 में कहा है कि कांड दैनिकी के पारा–104 में जिसके तहत मैने आरोप पत्र समर्पित किया गया है उसमे अनुसंधान पर्यवेक्षण और वरीय पदा0 के निर्देशानुसार प्राथमिकी अभियुक्त राधा देवी, संतोष भगत और मौसम कुमारी की संलिप्तता/अभियुक्तिकरण गलत पाया गया। पारा–13 में कहा है कि कांड दैनिकी के पारा–22 में भी अनु0 पु0 पदा0 द्वारा कुछ अभियुक्तों का सी0डी0आर0 प्राप्त करने का निर्देष दिया गया, जो मेरे द्वारा नहीं किया गया। पारा–14 में कहा है कि मूल कांड दैनिकी के पारा–70 में महेन्द्र मोदी का सफाई बयान लिया गया जिसमे उसने खुद को निर्दोष बताया। पारा–15 में कहा है कि जब से मैने अनुसंधान प्रारंभ किया तब से आरोप पत्र समर्पण तक महेन्द्र मोदी और के0 बी0 मोदी के विरूद्व कोई भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। पारा–16 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैने त्रुटिपूर्ण अनुसंधान किया एवं वरीय पदा. के निर्देश पर महेन्द्र मोदी और के0 बी0 मोदी के विरूद्व गलत आरोप पत्र समर्पित किया।

Satish Kumar 08.04.26

मुद्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा

17. <u>अभियोजन साक्षी सं0–06 डॉ0 मनोज कुमार</u>

अभियोजन साक्षी सं0–06 डॉ0 मनोज कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 मे कहा है कि मै दिनांक 06.02.2022 को सदर अस्पताल, मधेपुरा मे स्पेसलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित था। I did postmortem examination of dead body of Phulwati Devi, aged about 70 years, wife of late Jugeshwar Modi, R/o Patori, ward no. 09, P.S- Singheshwar, Distt-Madhepura and found the following findings on her person :-

<u>External Examination:-</u> Riger mortis present in all four limbs, eye closed, pupil dilated and fixed. Ecchoimosis present on both upper and lower eye lid of right eye, blood stain present on right side of mouth and lip.

On Chest:-Entry wound:- at left side chest at mid axillary line size 1.5 c.m X 1.5 c.m. Exit wound:- On right side of chest- size- 2" x 1" (inch) and 2" x 2"(inch) approx in distance. On right leg and right knee- Two grossly lacerated wound at medial side of leg. First wound at interior side of leg size 5" x 2" x 1" (inch) and second wound medical side of knee region, size- 7" x 4" x 1" (inch).

Internal Examination:- Skull intact, Brain tissue intact and pale, subcutaneous heamatoma in eye lid, and lip injury.

Chest:- Lungs and heart intact left ventricle partially filled.

Abdomen:- Liver lacerated, spleen lacerated, stomach lacerated and ruptured. Intestine intact and pale, heamatoma in abdominal cavity.

Cause of Death:- Cardio respiratory arrest, due to hemorrhagic shock may be due to bullet injury.

Time elapsed since death:- Within 24 hours since postmortem time.

On para-02 of examination in chief he stated that this postmortem report is in my writing and bears my signature. Entire postmortem report is marked as exhibit- **P.-02/P.W.-06.**

During the cross-examination on behalf of K.B. Modi and Mahendra Modi, witness stated in para-03 that whether gun powder was present at the entry wound and exit wound, it has not been mentioned in the postmortem report. In para-04 he stated that whether the dead body contained digested or semi-digested food or otherwise it has not mentioned in the report. In para-05 he stated that the food condition in stomach also determines the time of death. In para-06 he stated that the cause of death Cardio respiratory arrest due to hemorrhagic shock may be caused by other reasons also including bullet injury. In para-07 he stated that the chard margin was found or not around the exit wound it has not been mentioned in the postmortem report. In para-08 he stated that If bullet is fired on short distance than charrd margin and gun powder will be present around the entry wound. In para- 09 he stated that the death was certainly caused within 24 hours from the commencement of postmortem of deceased of Phulwati Devi. In para-10 of cross-examination witness stated that the injury found over right leg and right knee was ante-mortem or postmortem it has not been mentioned in the report. I have

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण वाद सं0–377/2022
(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 29/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 08/04/2026)

mentioned the type of injury i.e. lacerated wound but it has not been mentioned whether it has been caused by hard and blunt substance or sharp weapons or otherwise. The nature of injury also has not been mentioned. At last witness stated in para-11 that It is not that I have not examined the deceased properly and submitted a defective report.

अभियुक्ता सिरमैन देवी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–12 में साक्षी का कथन है कि मृतका का शव चौकीदार सेल्टू ऋषिदेव 1/04 के द्वारा लाया गया था। पारा–13 में कहा है कि मृतका का पोस्टमार्टम परिवार के किसी सदस्य के समक्ष नहीं हुआ था। पारा–14 में कहा है कि मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से 24 धण्टे पहले का दिया गया है, जो परीक्षण पर आधारित अनुमान से दिया गया है। पारा–15 में कहा है कि मृतका के शरीर से मैने गोली बरामद नहीं किया था। प्रतिपरीक्षण के पारा– 16 में साक्षी का कथन है कि ऐसी बात नहीं है कि सूचक के मेल मे आकर मैने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया है।

<u>बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों का अभिसाक्ष्य</u> :– बचाव पक्ष द्वारा कुल छः गवाहों की गवाही कराई गई है जिनका अभिसाक्ष्य इस प्रकार है–—

Satish Kumar
08.04.26

18. <u>बचाव पक्ष साक्षी सं0–01 कुंदन कुमार</u>

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी सं0–01 कुंदन कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 मे कहा है कि मै इस मुकदमा के दोनो पक्षों को जानता हूँ। पारा–02 में कहा है कि घटना तीन सवा तीन साल पहले की है। पारा–03 में कहा है कि मै फुलवती देवी को जानता हूँ। फुलवती देवी को बदमाश के द्वारा मार दिया गया है। पारा–04 में कहा है कि महेन्द्र मोदी और के0बी0 मोदी तथा सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी को मै जानता हूँ। इन सभी का घर पटोरी में है। मेरे घर के आमने सामने है। घटनास्थल यानी फुलवती देवी का द ार महेन्द्र मोदी, के0बी0 मोदी तथा सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी के घर से एक कि.मी. की दूरी पर पूरब दक्षिण दिशा में अवस्थित है। पारा–05 मे कहा है कि महेन्द्र मोदी लगभग 20–25 सालों से सपरिवार दिल्ली में रह रहे हैं। पारा–06 में कहा है फुलवती देवी, महेन्द्र मोदी की सगी भाभी लगती है। पारा–07 में कहा है कि फुलवती देवी और महेन्द्र मोदी का

जमीन जायदाद न्यायालय द्वारा बंटवारा कर सब अलग–अलग है। बंटवारा के बाद सभी अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक दखलकार है। पारा–08 में कहा है कि फुलवती देवी के कारोबार से महेन्द्र मोदी, के0 बी0 मोदी तथा सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी वगैरह को कोई सरोकार नहीं है। इन सभी के बीच किसी तरह को कोई विवाद या दुश्मनी नहीं है। पारा–08 में कहा है कि फुलवती देवी के कारोबार से महेन्द्र मोदी, के0बी0 मोदी तथा सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी वगैरह को कोई सरोकार नहीं है। इन सभी के बीच किसी तरह का कोई विवाद या दुश्मनी नही है। पारा–09 में कहा है कि महेन्द्र मोदी के विरूद्व मैने कोई शिकायत नहीं सुना है।

अभियोजन द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–10 में साक्षी का कथन है कि इस घटना के संबंध में मेरा बयान पुलिस के समक्ष नहीं हुआ था। पारा–11 में कहा है कि महेन्द्र मोदी, के0बी0 मोदी तथा सिरमैन देवी उर्फ सिरोमनी देवी के परिवारिक मामले या कारोबार से मुझे कोई सरोकार नहीं है। पारा–12 में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्तगण मेरे मित्र तथा खास आदमी है इसलिए उनके कहने पर मैने गलत तथ्यों के आधार पर बयान दिया है।

Satish Kumar
8.04.26

19. <u>बचाव पक्ष साक्षी सं0–02 अरविंद यादव</u>

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी सं0–02 अरविंद यादव ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 मे कहा है कि इस मुकदमा के दोनो पक्षो को मै जानता हूँ। अपने ग्रामीण फूलवती देवी को जानता हूँ जो अब जीवित नहीं है। फूलवती देवी को बाहरी किसी व्यक्ति ने मार दिया है, यह नहीं मालूम कौन मारा। फूलवती देवी की आज से 3–साढे 3 वर्ष पूर्व हत्या हो गई है। पारा–02 में कथन किया है कि मै अपने ग्रामीण महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी को जानता पूहचानता हूँ। महेन्द्र मोदी मृतिका फूलवती देवी के सगे देवर है। महेन्द्र मोदी का लडका के.बी. मोदी है। मेरा घर से महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी कर घर 30 मीटर की दूरी पर आमने–सामने है। फूलवती देवी का घर मेरे घर से करीब 1 किमी. की दूरी पर पूरब–दक्षिण दिशा मे है। पारा–03 में कहा है कि महेन्द्र मोदी अपने सपरिवार 25–30 साल से दिल्ली मे रहते थे। महेन्द्र मोदी का बच्चा लोग भी दिल्ली मे ही पले–बढे थे। मै दिल्ली मे जाकर महेन्द्र मोदी से मिला था, वहाँ वह कबाड का काम करता था। महेन्द्र मोदी दिल्ली मे काफी समय से रह रहे थे इसलिए उनका वहाँ का पहचान पत्र भी बना हुआ है। पारा–04 में कहते हैं कि मृत्तक फूलवती देवी के पति 3 भाई कमशः है––– योगेन्द्र मोदी जो फूलवती देवी के पति है,

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण वाद सं0—377/2022
(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या— 29/2022)

उपस्थित— सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः— 08/04/2026)

दूसरे महेन्द्र मोदी एवं तीसरे गजेन्द्र मोदी है। इन तीनो का कारोबार अलग—अलग है। इन लोगो के जगह—जमीन का बंटवारा कोर्ट से हुआ है। बंटवारा के बाद ये लोग अपने—अपने जमीन के दखल मे चले गये। फूलवती देवी ने बंटवारा के हिस्से का करीब 2—2 $^{1}/_{2}$ बीघा जमीन बिकी भी किया है। वह जमीन 3—4 लोगो को बेंची थी। वाद वाला जमीन भी और सड़क के किनारे वाला 8—10 कठ्ठा जमीन बेची थी। महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी को फूलवती देवी द्वारा बेची जमीन से कोई दिक्कत नहीं थी। पारा—05 में कथन करते हैं कि महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी को फूलवती देवी से कोई दुश्मनी नहीं था। महेन्द्र मोदी एवं के. बी. मोदी का इस कांड मे कोई संलिप्पतता नहीं है।

अभियोजन द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा— में साक्षी का कथन है कि मुझे कोर्ट से नोटिस नहीं गया था। पुलिस के पदाधिकारी के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। मृतिका फूलवती देवी या अभियुक्त के परिवार के मामलो से मै कोई तालूकात नहीं रखता हूँ। पारा—07 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मै अभियुक्तो का मैली व्यक्ति हूँ और इसी लिए उनके कहने पर एवं कहे अनुसार न्यायालय मे गवाही दिया हूँ।

20. <u>बचाव पक्ष साक्षी सं0—03 गीता देवी</u>

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी सं0—03 गीता देवी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि मुकदमा के दोनो पक्षो को मै जानती हूँ। फूलवती देवी को मै जानती हूँ। उनकी मृत्यु हो चुकी है। फूलवती देवी की हत्या 2—3 साल पहले बाहरी लोग ने कर दिया है। फूलवती देवी के घर से मेरा घर 2—4 घर बाद है, मै पड़ोसी हूँ। फूलवती देवी से मुझे बातचीत होती थी। उनसे मेरा अच्छा संबंध था, घूमते फिरते थे। पारा—02 में कहा है कि महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी को जानती हूँ। महेन्द्र मोदी फूलवती देवी के सगे देवर थे। के.बी. मोदी, महेन्द्र मोदी पुत्र है। फूलवती देवी एवं महेन्द्र मोदी अलग—अलग रहते थे तथा कारोबार अलग—अलग था। दोनो पक्षो मे घर द्वार एंव जगह जमीन का बंटवारा कोर्ट के द्वारा हो चुका था। बंटवारा के बाद फूलवती देवी अपने हिस्से का जमीन बेची थी। वो करीब 2—ढाई बीघा जमीन बेंची थी। जमीन के बिकी से भईयारी मे किसी को कोई आपत्ती नहीं था। पारा— 03 में कहते हैं कि महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी को फूलवती देवी से कोई दुश्मीन नहीं था। मेरे तथा फूलवती देवी के घर से महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी का घर करीब एक कि.मी. दूर है। महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी का कोई शिकायत नहीं सुनी हूँ। मेरे शादी से पहले से महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी सपपरिवार दिल्ली मे रहते थे।

Satish Kumar
08.04.26

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मधेपुरा

अभियोजन द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—04 में साक्षी का कथन है कि मुझे कोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिला था। फूलवती देवी, महेन्द्र मोदी या इनके परिवारिक मामलो से मुझे कोई मतलब नहीं है। पुलिस मे मेरा बयान नहीं हुआ था। महेन्द्र मोदी से मेरा समाज के नाते अच्छा संबंध है। मैने घटना अपनी आंखो से नही देखा है। पारा—05 में कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि मै महेन्द्र मोदी एवं के.बी. मोदी तथा उसके परिवार के मेल एवं प्रभाव आकर झूठी गवाही दे रही हूँ।

21. बचाव पक्ष साक्षी सं0—04 अनिता देवी

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी सं0—04 अनिता देवी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि इस मुकदमा के दोनो पक्षो को जानती हूँ। फूलवती देवी को पडोसी होने के नाते जानती हूँ। फूलवती देवी की मृत्यु हो चुकी है। फूलवती देवी को मरे हुए करीब 2—ढाई वर्ष हुई। फूलवती देवी को बाहरी लोग उसका हत्या कर दिए। महेन्द्र मोदी और के.बी. मोदी और श्रीमेन देवी को जानती हूँ। महेन्द्र मोदी और फूलवती देवी सगा देवर—भाभी थी। मै फूलवती देवी की पडोसी हूँ। फूलवती देवी के घर से महेन्द्र मोदी और के.बी. मोदी का घर करीब एक कि.मी दूर है। पारा—02 में कहा है कि महेन्द्र मोदी सपरिवार दिल्ली मे करीब 20—25 वर्ष से रहते है। महेन्द्र मोदी, के.बी. मोदी और फूलवती देवी के बीच मे जमीन का बंटवारा कोर्ट से हुआ है। बंटवारा के बाद सब अपने—अपने मे रहते हैं। महेन्द्र मोदी, के.बी. मोदी, श्रीमेन देवी और फूलवती देवी के सम्पत्ती या करोबार से कोई सरोकार नहीं था। फूलवती देवी ने लगभग तीन बीघा जमीन बेचा था। जमीन गांव घर के लोग भी लिए और बाहरी भी लिए। फूलवती देवी आती रहती थी और केहती थी कि लोग हमसे जमीन लिया है, कुछ लोग पैसा दिया कुछ का बाकी है। जो—जो व्यक्ति जमीन लिया था उसकी चर्चा फूलवती देवी करती थी कि पैसा देने मे टालमटाले कर रहे हैं। पारा—03 में कहते है कि महेन्द्र मोदी और के.बी. मोदी और श्रीमेन देवी को फूलवती देवी से कोई दुश्मनी नहीं था। महेन्द्र मोदी और के.बी. मोदी और श्रीमेन देवी के बारे मे कभी कोई शिकायत नहीं सुनी मै।

Satish Kumar
8.04.26

अभियोजन द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—04 में साक्षी का कथन है कि फूलवती देवी मेरी पडोसी थी, सगे संबंधी नहीं थी। मेरा घर उसके 4—5 घर के बार है। मै उसके घर काम नहीं करती थी। महेन्द्र मोदी से बातचीत होती है। इनके घर के परिवार या कारोबार से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मै गांव की वार्ड मेम्बर नहीं हूँ। पारा—05

में कहा है कि मेरा पति मर चुका है। मुझे कोर्ट से कोई नोटिस नहीं गया था। पुलिस मे बयान नहीं हुआ है। पारा—06 में साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि इस केस के मुदायलय लोगो की मेली हूँ, और उनके मेल प्रभाव मे आकर गवाही दे रही हूँ।

22. बचाव पक्ष साक्षी सं0—05 बेचन यादव

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी सं0—05 बेचान यादव ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 मे कहा है कि सिरमैन देवी को जानता हूँ तथा मृतिका फूलवती देवी को जानता हूँ। दोनो का घर एक दूसरे से अलग—अलग है। श्रीमेन देवी को फूलवती देवी से कभी कोई लडाई झगडा नहीं हुआ था। फूलवती देवी से श्रीमेन देवी को कभी कोई जमीन नही लिखवाई न हीं जमीन संबंधी विवाद था। सिरमेन देवी के बेटी को फूलवती देवी गोद ली हुई थी तथा फूलवती देवी के द्वारा ही उक्त गोद ली गई बेटी का शादी भी की थी। फूलवती देवी ने अपनी इच्छा से श्रीमेन देवी से गोद ली हुई बेटी को बैंक मे अपना नोमिनी बनाई हुई थी। पारा—02 में कहा है कि घटना के दिन श्रीमेन देवी अपने भतीजा के मुंडन मे अपने मायके गई हुई थी। श्रीमेन देवी को निर्दोष हैं तथा इसे गलत तरीके से केस मे फंसाया गया है।

अभियोजन द्वारा किये गये प्रति—परीक्षण के दौरान पारा—03 में साक्षी का कथन है कि मेरे घर से 3—4 घर के बाद पूरब दिशा मे श्रीमेन देवी का घर है। फूलवती देवी के संपत्ती या उसके परिवार से मेरा कोई सरोकार नहीं था। फूलवती देवी ने सिरमैन देवी के बेटी को गोद लेकर उसे बैंक मे नॉमिनी बनाया था इस बात की जानकारी मुझे गांव के लोगो के द्वारा हुईं। कोर्ट मे गवाही के लिए मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था। पारा—04 में कहा है कि सिरमैन देवी गांव समाज की है इसलिए इन्हे जानता हूँ। फूलवती देवी, सिरमेन देवी या उसके परिवार के सम्पत्ति बंटवारा मे मै पंच के रूप मे नहीं था बल्कि कोर्ट के द्वारा बंटवारा हुआ था। कोर्ट मे बंटवारा किस मुकदमे के तहत और कब हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं। पारा—05 में कहते है कि फूलवती देवी की हत्या करते हुये मै किसी को नही देखा। पुलिस द्वारा मुझसे पूछताछ किया गया था। गजेन्द्र मोदी के कहने पर मै आज गवाही देने आया हूँ। गजेन्द्र मोदी इस केस का मुदालय है। पारा—06 में साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि मै गजेन्द्र मोदी सिरमैन देवी के मेल एवं प्रभाव में आकर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

Satish Kumar 08.04.26

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण वाद सं0–377/2022
(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 29/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 08/04/2026)

23. <u>बचाव पक्ष साक्षी सं0–06 राजकुमार मोदी</u>

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी सं0–06 राजकुमार मोदी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 मे कहा है कि मै इस केस के सूचक एवं अभियुक्त दोनो को पहचानता हूँ। घटना का दो तीन साल हुआ है। उस गाँव में मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घटना के दिन सिरमैन देवी अपने भतीजा के मुंडन में अपने मायके गई हुई थी। पारा–2 में कहा है कि सिरमैन देवी मेरे गाँव की है इसलिए मै पहचानता हूँ। उससे मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है। सिरमैन देवी को इस केस में झूठा फंसाया गया है।

अभियोजन द्वारा किये गये प्रति–परीक्षण के दौरान पारा–03 में साक्षी का कथन है कि फुलवती देवी की हत्या हुई थी।

24. **<u>अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन एवं विश्लेषण</u> :–** अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सत्र वाद मे कुल 06 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है कि जिनमें से अभियोजन साक्षी सं0–02 सियावर मंडल एवं अभियोजन साक्षी सं0–05 अरूण कुमार अनुसंधानकर्त्ता है जबकि अभियोजन साक्षी सं0–06 डॉ0 अरूण कुमार है जिन्होंने मृत्तका का पोस्टमार्टम किया था। शेष तीन साक्षी तथ्य के साक्षी है जिनमें से एक साक्षी सं0–01 सुरेश कुमार मोदी सूचक है जबकि शेष दो अन्य साक्षी है।

तथ्य के साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में जो कुछ भी कहा है उसके विश्लेषण से तथा प्राथमिकी के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षी सं0–01 जो कांड का सूचक भी है ने कहा है कि घटना 04.02.22 के संध्या 07 बजे के बाद की है। उस दिन मैं पूर्णिया मे था।

अभियोजन साक्षी सं0–03 रामचंद्र मोदी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–01 में कहा है कि घटना सरस्वती पूजा के दिन की है। उस दिन 07:30–8 बजे शाम को मेरा भगना बासा पर गया और बोला कि मौसी का मर्डर हो गया है। मृत्तका का नाम फुलकुमारी देवी था जो मेरी बहन थी। उसके बाद अपने भगना के साथ मोटरसाईकिल से पटोरी गया जहाँ मेरी बहन का ससुराल था। वहाँ देखा कि वह खून से लथपथ बेड पर पड़ी हुई थी। यह देखकर मुझे कोई होश नहीं रहा। वहाँ गाँव के लोग आये। मै दाह–संस्कार में सम्मिलित होने के उपरांत घर वापस चला गया। मुख्य परीक्षण के पारा–02 मे साक्षी का कथन है कि इस केस के मुदालय को नहीं पहचानता हूँ क्योंकि मैंने मारते हुए किसी को नहीं देखा है।

अभियोजन साक्षी सं0—04 विजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 में कहा है कि यह घटना 05 फरवरी, 2022 की संख्या 07 बजे की है। मुझे खबर मिली कि मेरी मौसी फुलो देवी की हत्या हो गई है। खबर मिलते ही मैं अपने मामा रामचंद्र मोदी के यहाँ बासा पर गया और उनको सूचना दी। उसके बाद मोटरसाईकिल से मैं अपने मामा को लेकर पटोरी आया। वहाँ आकर देखा कि मेरी मौसी का शव खून से लथपथ बेड पर पड़ा हुआ था। अपने मुख्य परीक्षण के पारा—02 मे साक्षी ने कहा है कि क्योंकि घटना मेरे सामने नहीं हुई थी, इसलिए मैं मुदालय को नहीं पहचानता हूँ।

इस प्रकार तथ्य के सभी तीन साक्षियों मे से किसीने भी घटना को अपने आँखों से देखने की बात नहीं बताई। साथ ही दो साक्षियों ने अभियुक्तों को पहचानने से भी इनकार किया है। ऐसे में सम्पूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का हो जाता है।

सूचक का अभियोग है कि मृत्तका की गोली मारकर हत्या की गई है। साक्षी सं0—06 डॉ0 मनोज कुमार हैं जिन्होंने स्पष्ट किया है कि मृत्तका की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है। अतः यह बात सिद्ध है कि मृत्तका की हत्या की गई। परंतु क्या विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तों द्वारा मृत्तका की हत्या की गई इसपर उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या हैं इसपर विचार करना व विश्लेषण करना आवश्यक होगा।

कांड के सूचक जो कि मृत्तका के सगे भाई है इन्होंने अपने लिखित आवेदन तथा न्यायालय के समक्ष दिये गये गवाही दोनों मे ही कहा है कि अभियुक्तगण पूर्व से ही मृत्तका को जान मारने की धमकी देते रहते थे तथा घटना के पूर्व रात्रि मे भी सूचक को फोन पर बताई कि उसे बहुत डर लग रहा है, उसकी जान को खतरा है। इस संबंध में सूचक का कथन है कि सिंहेश्वर थाना कांड सं0—281 / 20 पूर्व में (29.12.2020 को) अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

न्यायालय को यह देखना है कि क्या उक्त आशंका के समर्थन मे अन्य कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि की जा सकती है?

Satish Kumar 08.04.26

मधेपुरा

सर्वप्रथम कांड के सूचक ने कुल दस लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है जिनके विरूद्ध मृत्तका की हत्या किये जाने का संदेह व्यक्त किया गया। परंतु अनुसंधान के कम में प्राथमिकी अभियुक्त राधा देवी, संतोष भगत एवं मौसम कुमारी के विरूद्ध अभ्युक्तिकरण गलत पाया गया। साथ ही यह भी अभियोग लगाया गया कि मृत्तका के पास जमा मोटी रकम एवं सारे कागजात से भरे बैंग भी गायब है। परंतु अनुसंधानकर्त्ता द्वारा कहीं भी यह तथ्य सामने नहीं लाया गया है और न ही इसकी बरामदगी की गई है। मृत्तका की हत्या में प्रयुक्त गोली का खोखा एवं जिंदा गोली यद्यपि घटनास्थल से बरामद किया गया है तथा उसकी जब्ती सूची भी बनाई गई है परंतु अभियोजन द्वारा न तो जब्ती सूची को प्रदर्श अंकित कराया गया है और न ही अनुसंधानकर्त्ता द्वारा उक्त गोली की जाँच कराई गई है। कांड दैनिकी के पारा–15 मे अनुसंधानकर्त्ता (साक्षी सं0–05) ने कहा है कि जबसे मैंने अनुसंधान प्रारंभ किया तब से अरोप पत्र समर्पण तक महेन्द्र मोदी ओर के0 बी0 मोदी के विरूद्ध कोई भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। प्रति–परीक्षण के पारा–06 मे इस साक्षी ने यह भी कहा है कि कांड दैनिकी के पारा–22 में अनु0पु0दा0 सदर का प्रर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित किया। उक्त टिप्पणी मे अभियुक्त सिरमैन देवी की संलिप्तता नहीं पाये जाने संबंधी मंतव्य दिया गया। आगे पारा–07 मे साक्षी का कथन है उक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी के बाद मेरे द्वारा अभियुक्त सिरमैन देवी के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया गया बल्कि पुलिस अधी0 के प्रतिवेदन के आधार पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। प्रतिपरीक्षण के पारा–13 मे अनुसंधानकर्त्ता ने कहा है कि कांड दैनिकी के पारा–22 मे भी अनु0 पु0 पदा0 द्वारा कुछ अभियुक्तों का CDR प्राप्त करने का निर्देश दिया गया जो मेरे द्वारा नहीं किया गया।

Satish Kumar
08.04.26

इस प्रकार प्रस्तुत सत्र वाद मे अभियोजन द्वारा ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कांड मे अभियुक्तों की संलिप्तता साबित होता हो।

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा

सत्र विचारण वाद सं0–377/2022
(व्युत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या– 29/2022)

उपस्थित– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा
(निर्णय की तिथिः– 08/04/2026)

–26–

आदेश

(25.) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन अपने वाद को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे विचारण का सामना कर रहें अभियुक्तों 1. महेन्द्र मोदी उर्फ महा 2. सिरमैन देवी उर्फ सिरोमणि देवी एवं 3. के0 बी0 मोदी को इनके विरूद्ध धारा–302/34, 120(बी), 379/34 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। काराधीन अभियुक्त महेन्द्र मोदी को कारा से प्रस्तुत किया गया तथा शेष दो अभियुक्तों की हाजिरी दी गई है। निर्णय सभी अभियुक्तों के समक्ष खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त के0 बी0 मोदी तथा सिरमैन देवी पूर्व से जमानत पर है, अतः इनके जमानतदारों को जमानत के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है। काराधीन अभियुक्त महेन्द्र मोदी की रिहाई हेतु अविलंब मुक्ति आदेश निर्गत करें। कार्यालय आवश्यक अनुपालन के पश्चात् अभिलेख को अभिलेखागार मे जमा करें।

निर्णय की प्रति राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJGD) पर अपलोड करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित है तथा खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

Satish Kumar 08.04.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांकः–08/04/2026

Satish Kumar 08.04.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मधेपुरा।
दिनांकः–08/04/2026